

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1741 का नियम 127)

आदेश पत्रक - ता0.....से.....तक

जिला.....सहरसा....., सं0.....144....., सन्.....2023.....

केस का प्रकार.....आर्बिट्रेशन.....(आशीष कुमार एवं अन्य बनाम राज्य).....

आदेश की क्रम संख्या किस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित 3
08.07.2026	NHAI एवं राज्य उपस्थित । आवेदक अनुपस्थित हैं । अभिलेख उपस्थापित । अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि आवेदक विगत 06 (छः) तिथियों से सुनवाई से लगातार अनुपस्थित हैं । आज भी आवेदक द्वारा इस वाद में कोई पैरवी नहीं किया गया । विपक्षी (DLAO एवं NHAI) के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक द्वारा वाद में अभिरुचि नहीं ली जा रही है एवं उनके ओर से दाखिल जवाब के आलोक में यह आर्बिट्रेशन वाद खारिज करने योग्य है । अतः अभिरुचि के अभाव के आलोक में इस आर्बिट्रेशन वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है । आदेश की प्रति उभयपक्षों को भेजें ।  आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा -सह-Arbitrator लेखापित एवं शुद्धित ।  आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा -सह-Arbitrator	

